 E-Mail: dfo.fatehabad@yahoo.co.in

वन विभाग, कार्यालय
वन मण्डल अधिकारी,फतेहाबाद वन मण्डल,फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यु0डी0 रेस्ट हाउस, फतेहाबाद–125050, फोन–01667–220313 (का0/फैक्स)

क्रमांक 1979 दिनांक 11/2/2022

सेवा में

Sh. Himanshu Sharma
Senior Manager (Retail Sales),
Hisar Divisional Office,
Indian Oil Corpn. Ltd., Hisar.

विषय :– **Diversion of 0.0239 Ha. of Forest Land for Establishment of Petrol Pump on Khasra No. 98//4 at Village-Hamjapur on Ratia-Fatehabad Road (SH-21), CH in Km. 48.580 (LHS), Tehsil-Ratia, Distt.-Fatehabad under Forest Division and Distt.-Fatehabad.**
Online Proposal No. – FP/HR/APPROACH/143578/2021.

सन्दर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला का पत्र क्रमांक प्रशा–डी–तीन–10210/6527 दिनांक 09–02–2022।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि संदर्भांकित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि तथा वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यू की राशि जमा करवाई जाए। अतः आपको लिखा जाता है कि प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि तथा प्रस्तावित वन भूमि की नए रेट अनुसार नैट प्रैजैन्ट वैल्यू रू. 300035/– की राशि नीचे दिए गए प्रोफार्मा में भरकर भेजी जा रही है। पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वैबसाईट **https://parivesh.nic.in** पर ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि कैम्पा हरियाणा खाता कार्पोरेशन बैंक, न्यू दिल्ली में जमा करवाकर रसीद तुरन्त इस कार्यालय को अवगत करवाएं ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

1	Compensatory Afforestation	151300
2	Additional Compensatory Afforestation	45390
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment	0
5	Safety Zone	0
6	Additional Charges for Protected Area	0
7	Net Present Value (NPV)	22891
8	**Any Other Charges (if any) :**	0
	c. Felling Charges	1778
	d. Plantation Damage Charges	0
9	Supervisory/Over Head Charges	15130
10	Soil and Moisture Conservation (30% of the Total C.A.)	63546
	Total	**300035**

वन मण्डल अधिकारी,
फतेहाबाद ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–10210 | 6527 दिनांकः 09-2-2022

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पशिमची परिमण्डल,
हिसार ।

विषय : Diversion of 0.0239 ha. of forest land for access to retail outlet of IOCL retail outlet at Khasra No. 98//4 on Ratia-Fatehabad road (SH-21) at village Hamjapur, under forest division and District Fatehabad, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approach/143578/2021

संदर्भ : आपका ऑन्लाईन प्रस्ताव दिनांक 05.01.2022

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0239 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008, 24–4–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2011 FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।

(iv) ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006'' की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 02 से अधिक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त 15 पौधा नष्ट होंगे।

(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

(v) इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी।

1/31/2022

2

(vi) पैट्रोल पम्प/Fueling Station की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए।

(vii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) के साथ–साथ व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(viii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

(ix) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेश को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(x) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

(xi) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी ।

(xii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xiii) अन्य कोई भी भार्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xiv) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।

(xv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(xvi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा–2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद।
3. Sr. Manager (RS) IOC Ltd. Hisar.